फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री श्यामसुन्दर साहू   बनाम   विपक्षी : श्री तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा –131, 136 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या : 28/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपराकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपराकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 9128/6365 किता 1 रकबा 1.3500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी से अंकित है। नवीन सेटलमेंट के बाद जो नक्शा तरमीम किया गया उसमें प्रार्थी की उक्त भूमि का नक्शा रिकॉर्ड में अंकित आराजी भूमि से कम तरमीम कर दिया गया जिससे आराजी नम्बर 9128/6365 रकबा 1.3500 हैक्टेयर अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी नम्बर 9128/6365 रकबा 1.3500 हैक्टेयर के वर्तमान राजस्व नक्शे का अवलोकन एवं माप करने पर पाया कि उक्त आराजी नं. 9128/6365 रकबा 1.3500 है. भूमि जमाबंदी में सही रकबा दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे में आकार कम होकर 1.3500 है. के बजाय 1.1200 है. दर्ज किया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा मौके पर प्रार्थी का कब्जा 1.3500 है. पर पूरा बताया जिसमें आराजी नं. 9128/6365 के अलावा आराजी नं. 6364 रकबा 2.87 है. का आंशिक भाग 0.23 है. भी बताया जिसको प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस पेश कर लाल स्याही से दर्शाया है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1908 में आराजी नं. 6364 रकबा 2.87 है. राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर आराजी नं. 9128/6365 रकबा 1.3500 है. की तरमीम परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन से यह पाया कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा राजस्व रेकर्ड में तो सही है लेकिन नक्शे में तरमीम रकबे के अनुसार नहीं कर कम कर दी गई जिसे प्रार्थी द्वारा दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शे में प्रार्थनाग्रस्त आराजी का आकार कम होकर 1.3500 है. के बजाय 1.1200 है. ही दर्ज किया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का कब्जा सम्पूर्ण रकबे 1.3500 है. पर बताया है जो आराजी नं. 6364 के आंशिक भाग पर आता है तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत कर तरमीम परिवर्तन किया जाना बताया। अतः तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] 31,136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर [illegible] हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी सम्वत 2078–2081 की खाता [illegible] की आराजी नम्बर 9128/6365 रकबा 1.3500 हैक्टेयर भूमि की त[illegible] द्वारा प्रस्तावित (रिपोर्ट के साथ संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार किये [illegible] जाते है। पालना [illegible] तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।